न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––10/2025

प्रविष्टि दिनांक––10.01.2025

मीठालाल पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम कौथून तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री हीरालाल चौधरी –प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि खाता संख्या नया 415 पुराना 379 में खसरा नम्बर 55 रकबा 2.1372 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.1372 है0 वाके ग्राम गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसका प्रार्थी 1/2 हिस्से का मालिक स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी का समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, गैस डायरी, बैंक डायरी आदि में नाम मीठालाल पुत्र भूरा है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा सहवन व त्रूटिवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकित कर दिया है राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवनवश त्रूटिवश प्रार्थी का नाम सही अंकित नही किये जाने के कारण प्रार्थी को भंयकर समस्या का सामना करना पड रहा है एवं भविष्य में भी करना पड सकता है प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाले लाभो से वंचित हो रहा है तथा के.सी.सी आदि का लाभ नही ले पा रहे है। इस कारण प्रार्थी की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का नाम मीठालाल पुत्र भूरा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाहीयों के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा कर रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम मीठालाल पुत्र भूरा किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। मीठालाल व लक्ष्मीनारायण दोनो एक ही व्यक्ति है तथा इस नाम का ग्राम गुन्सी में इस जाति में एवं इस वल्दीयत में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसे दुरूस्त किये जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी व क्षति कारित नही होगी लिहाजा प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा के स्थान पर मीठालाल पुत्र भूरा किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को सही व दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा के स्थान पर मीठालाल पुत्र भूरा दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम गुन्सी के वर्तमान खाता सं0 415 खसरा नम्बर 55 रकबा 2.1372 लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा हि0 1/2 कोथून तह0 चाकसू दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 656 से नारायण पुत्र आनन्दा ख0नं0 55 से बेचान होकर रामेश्वर लक्ष्मीनारायण पि0 भूरा जाट सा0 कोथून के नाम दर्ज हुआ है। प्रकरण बैचान से सम्बनधित है। अतः प्रकरण धारा 136 के बजाय धारा 88 का बनता है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा के स्थान पर मीठालाल पुत्र भूरा दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजियात का नामान्तकरण, नामान्तकरण संख्या 656 से नारायण पुत्र आनन्दा ख0नं0 55 से बेचान होकर रामेश्वर लक्ष्मीनारायण पि0 भूरा जाट सा0 कोथून के नाम दर्ज हुआ है। प्रकरण में साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर सुनवाई की जाकर निर्णित किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजियात का नामान्तकरण जरिये बेचान स्वीकृत हुआ है। लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विक्रय पत्र का कोई वर्णन नहीं करके प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज होना बताया गया है लेकिन तहसीलदार रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में जरिये बेचान रामेश्वर, लक्ष्मीनारायण पिता भूरा नामान्तकरण स्वीकृत होकर दर्ज हुआ है। प्रार्थी की ओर से विक्रय पत्र की प्रति भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे प्रार्थी की समस्या अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पोषणीय प्रतीत नहीं होती है। तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई
उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)